भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 474
(दिनांक 06 फरवरी, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

आन्ध्र प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत लंबित मजदूरी

474. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालूः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत लंबित मजदूरी की जानकारी है;
(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में लाभार्थियों को संवितरित किए जाने के लिए लंबित धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) आन्ध्र प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत वर्ष-वार कितने जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और कितने जॉब कार्ड सक्रिय हैं;
(घ) वर्ष 2019 से राज्य को कुल कितनी धनराशि संवितरित की गई है;
(ङ) क्या सरकार परिवार के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 100 दिनों के अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने पर विचार कर रही है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों को निधियाँ जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को निधियाँ उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत, निधिया राज्यों को जारी की जाती है, न कि जिलों को। दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में मजदूरी भुगतान की कुल लंबित देनदारियां 66.29 करोड़ रु है।

नरेगासॉफ्ट के अनुसार , चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में आंध्र प्रदेश के लिए सामग्री घटक के लिए 506.14 करोड़ रुपये की देनदारी लंबित है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य में शुरुआत से जारी जॉबकार्ड और 01.02.2024 की स्थिति के अनुसार सक्रिय जॉबकार्ड क्रमशः 67.97 लाख और 56.81 लाख हैं।

(घ): वित्तीय वर्ष 2019-20 से चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (दिनांक 31.01.2024 की स्थिति के अनुसार) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को जारी निधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंध्र प्रदेश राज्य को जारी की गई केंद्रीय निधि (रुपए करोड़ में)	7,204.72	10,305.09	7,182.67	7,989.09	6,865.67

(ङ) और (च): जी नहीं। हालाँकि, अधिनियम की धारा 3 (4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी स्वयं की निधियों से इस अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि के अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

****